पत्र संख्या-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

संकल्प

विषयः- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता की वर्त्तमान दर में संशोधन के संबंध में ।

केंद्रीय षष्ट्म आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण पुनरीक्षित दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) राज्य के अधीन प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 2.5%, अधिकतम 1000/- रू0 प्रतिमाह, तथा

(ख) राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 5%, अधिकतम 2000/- रू0 प्रतिमाह ।

(ग) प्रतिनियुक्ति भत्ता का वहन उस संगठन को करना होगा जहॉ राज्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति होगी ।

नई वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायेगा किन्तु इसमें विशेष वेतन या किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नही होगा ।

(3) यह आदेश दिनांक 01.01.2010 से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 ..../वि (2) पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 ..../वि (2)पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 ..../वि (2) पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग/वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चत्तर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 ..../वि (2) पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर इस संबंध में आदेश निर्गत किया जा सकता है ।

ह0/-

(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 12423/वि (2) पटना, दिनांकः- 31/12/09

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियॉ वित्त विभाग, शाखा-3ए को उपलब्ध करायी जाए ।

31.12.09

(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।